

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
अनुसचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 18 जुलाई 2017

विषय:- कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी0टी0रोड किमी0 0.00 से 10.97 तक (कल्याणपुर से बिदूर तक) चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने हेतु 6.011 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/19/2017/एफसी/134, दिनांक 12-7-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गयी कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 12-7-2017 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र में कुल 04 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।

?